

आज हाजिर हो सकते हैं साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव बर्लिन अस्पताल मामले में आईएस अविनाश कुमार की पती प्रीति कुमार का समन

गलत तरीके से जमीन खरीदने की इडी को मिली थी जानकारी

खबर मन्त्र व्यूप्रे

रांची। आईएस अधिकारी अविनाश कुमार की पती प्रीति कुमार को प्रवर्णन निदेशालय (इडी) को समन किया है। इडी ने उह्नें 12 जनवरी को तलब किया है। इसके पूर्व उह्नें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि बर्लिन हास्पिटल केस में प्रीति कुमार को समन किया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला केस में बर्लिन अस्पताल के भाग मामला समने आया था। इडी के अधिकारियों ने 5 दिसंबर को बर्लिन अस्पताल का सर्वे किया था।

आज हो सकती है साहिबगंज डीसी से पूछताछ

साहिबगंज में अधिक पत्थर खनन के मामले में इडी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ कर सकती है। इडी ने रामनिवास निवास यादव को इडी ने 11 जनवरी को इडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया था।



अधिकारियों ने बर्लिन हास्पिटल की जमीन खरीदी थी। 5 दिसंबर को खरीद मूल्य बाजार मूल्य से काफ़ी कम थी। बताया गया कि आईएस अधिकारी अविनाश कुमार की पती प्रीति कुमार की खरीदी गई। इस जमीन में परचेज के रूप में डॉ. नलिनी रंजन सिन्हा और उप सिन्हा का जिक्र किया गया था। बाद में अंचल के खाता संख्या-54, प्लॉट नंबर-2711 की 12 कट्टा जमीन से संबंधित है। दरअसल, इडी को

जानकारी मिली थी कि जमीन गलत तरीके से खरीदी गई है। जमीन की खरीद मूल्य बाजार मूल्य से काफ़ी कम थी। बताया गया कि आईएस अधिकारी अविनाश कुमार की पती प्रीति कुमार की खरीदी गई। इस जमीन में परचेज के रूप में डॉ. नलिनी रंजन सिन्हा और उप सिन्हा का जिक्र किया गया था। बाद में अंचल के खाता संख्या-54, प्लॉट

इडी निवेश कुमार को इमांड पर लेकर कठेगी पूछताछ रांची। इडी प्रीलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के आधिकारिक सलाहकार निवेश कुमार उर्फ राजहीर से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इडी ने इडी के विशेष न्यायीश दिनेश गोप के अदालत में निवेश कुमार को पांच दिनों की पुलिस मुख्यालय ने कहा कि रांची में रहने वाले कारोबारी को अगर रांची से बाहर धमकी मिल रही है तो उसकी सूचना रांची पुलिस के पास नहीं रही है। ऐसे में पुलिस के द्वारा रांची में वैसे लोगों को सुश्राव भाग करा पाना मुश्किल है। इस तरह के मामलों में सुरक्षा में चुक होती है जिसकी वजह से हाल के दोनों कई कारोबारियों पर हमले हुए, जिसमें कुछ को मौत तक हो गई। ऐसे मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास शुरू कर दिया गया है। पुलिस आदेश में बहता था कि छह जनवरी 2022 को धूम्रता वाप के पास से नवसलाली अभियान में सुश्राव और पुलिस ने नवसलाली सुगंठन प्रीलएफआई के मुख्यालय दिनेश गोप के नजदीकी ओर लोगों को लेही की 77 लाख रुपये की राशि के साथ धर दबोचा था।

जमीन संरेंडर कर दिया। बताया गया कि जमीन 1 करोड़ में खरीदी गई बर्लिन हास्पिटल का निर्माण कराया गया। जमीन से उसके बाद जमीन खरीद रखा है। जमीन की वास्तविकी की ओर जमीन के वास्तविक विवरण दिया गया था। बाद में अंचल के खाता संख्या-54, प्लॉट नंबर-2711 की 12 कट्टा जमीन से संबंधित है। दरअसल, इडी को

कांके विधायक समरीलाल बनाम सुरेश बैठा मामले में आज भी होगी सुनवाई

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। किकि विधानसभा सीट पर किसी को टिकट से उभयनाव रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन परिदीक्षा में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वार्षिक अधिकारी अविनाश कुमार और जमीन खरीदने की ओर से उभयनाव रहे किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे। बताया गया कि किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे। बताया गया कि किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे।

है, समरीलाल के बाद भाजपा के प्रत्याशी ही आपति की गई थी और किकि विधानसभा सीट पर खरीद सुरेश बैठा की इलेक्शन परिदीक्षा में बुधवार को सुनवाई करेगा। बताया दें कि 2019 विस चुनाव में किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे। बताया गया कि किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे। बताया गया कि किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे।

कर्मी को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने का मामला बिस्कोमान के एमडी को 12 जनवरी को हाईकोर्ट में फिर हाजिर होने का निर्देश

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। कर्मी को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने मामले में बुधवार को बिस्कोमान एमडी वर्चुअल रूप से हाईकोर्ट में उपर्युक्त हुए। व्यापरी संजय ब्राह्मण प्रसाद की कोर्ट की इलेक्शन परिदीक्षा में जारी होनी वाली वार्षिक अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव हुई। सुनवाई के दौरान वार्षिक अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव हुई।

मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरीलाल के निर्वाचित विवरण किया गया। जिसके बाद सुरेश बैठा ने हाईकोर्ट में उपर्युक्त की विवरण किया गया। उसमें जारी होनी वाली वार्षिक अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव हुई। बताया दें कि 2019 विस चुनाव में किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव रहे। बताया गया कि किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव हुई। बताया गया कि किकि विधानसभा की अधिकारी अविनाश कुमार की ओर से उभयनाव हुई।

अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड के आरोपियों की जमानत पर हाईकोर्ट ने तीसरी बार किया इंकार

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा और शोभराम महोन को बेल देने से हाईकोर्ट में तीसरी बार किया गया। इन सभी विश्वविद्यालयों पर सरकार सालाना कर्मांड़ों रूपय खर्च करती है। विश्वविद्यालय के कुलपति हर साल इनमें सुधार करने की बात करते हैं, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं होता है। यही कारण है कि रांची के विश्वविद्यालय नहीं बना पाती है।

हत्या कर दी गई थी। इस जिसपर हाईकोर्ट के न्यायालय में कई लोगों को आरोपी की ओर से उभयनाव हुई। दोनों को परिजनों की ओर से हाईकोर्ट के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। बताया दें कि रांची के विश्वविद्यालय के एमडी को कोर्ट के एमडी को हैमारी बार करने की ओर से उभयनाव हुई।

एनआईआरएफ के टॉप-50 में भी नहीं आती हैं राज्य की एक भी यूनिवर्सिटी

खबर मन्त्र व्यूप्रे

